दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय पारित: 30 मई, 2024

आ.क.अ. 304/2024

मुख्य आय कर आयुक्त 1 ..... अपीलार्थी

द्वारा: प्रशांत मेहरचंदानी, वरि.स्था.अधि. के साथ श्री अक्षत सिंह, कनि.स्था.अधि. सुश्री रितिका वोहरा और श्री उत्कर्ष कांडपाल, अधिवक्तागण

बनाम

मैसर्स केयर हेल्थ इंस्योरेंस लिमिटेड (पहले मैसर्स रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अजय वोहरा वरि.अधि. के साथ श्री किशोर कुणाल, सुश्री अंकिता प्रकाश और श्री अनुज कुमार, अधिवक्तागण

11

श्री अनुज कुमार 290/2024

मुख्य आय कर आयुक्त 1 ..... अपीलार्थी

द्वारा: प्रशांत मेहरचंदानी, वरि.स्था.अधि. के साथ श्री अक्षत सिंह, कनि.स्था.अधि. सुश्री रितिका वोहरा और श्री उत्कर्ष कांडपाल, अधिवक्तागण

बनाम

मैसर्स केयर हेल्थ इंस्योरेंस लिमिटेड (पहले मैसर्स रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अजय वोहरा वरि. अधि. के साथ श्री किशोर कुणाल, सुश्री अंकिता प्रकाश और श्री अनुज कुमार, अधिवक्तागण

12

आ.क.अ. 291/2024

मुख्य आय कर आयुक्त 1 ..... अपीलार्थी

द्वारा: प्रशांत मेहरचंदानी, वरि.स्था.अधि. के साथ श्री अक्षत सिंह, कनि.स्था.अधि. सुश्री रितिका वोहरा और श्री उत्कर्ष कांडपाल, अधिवक्तागण

बनाम

मैसर्स केयर हेल्थ इंस्योरेंस लिमिटेड (पहले मैसर्स रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अजय वोहरा वरि.अधि. के साथ श्री किशोर कुणाल, सुश्री अंकिता प्रकाश और श्री अनुज कुमार, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरुषेंद्र कुमार कौरव

<u>निर्णय</u>

<u>यशवंत वर्मा, न्या.</u>

<u>आ.क.अ. 304/2024 में सि.वि.अ. 32189/2024 और 32190/2024 (विलंबित);</u>
<u>आ.क.अ. 290/2024 में सि.वि.अ. 29258/2024 और 29259/2024 (विलंबित);</u>
<u>आ.क.अ. 291/2024 में सि.वि.अ. 29282/2024 और 29283/2024 (विलंबित).</u>

1. किए गए खुलासों को ध्यान में रखते हुए, अपील दायर करने और पुनः दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

2. आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।

<u>आ.क.अ. 304/2024, आ.क.अ. 290/2024 और आ.क.अ. 291/2024</u>

1. मुख्य आयकर आयुक्त ने **आयकर अपील अधिकरण** के दिनांक 10 मई 2023 के आदेश को प्रश्नगत किया है और निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचारणा के लिए प्रस्तुत किया है:-

> "क) चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विधि की दृष्टि से, माननीय आई.टी.ए.टी. ने 31 मार्च को बकाया अनिर्णित दावों के लिए प्रावधान की अस्वीकृति को हटाने में गलती की है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि राशि को निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में एक प्रावधान के रूप में दिखाया गया है और इसे उस वर्ष में अनुमति दी जा सकती है जब इसे अमल में लाया गया, न कि विचाराधीन वर्ष में।
>
> ख) चाहे मामले और विधि के तथ्यों और परिस्थितियों पर, माननीय आई.टी.ए.टी. ने अनिर्धारित किए गए दावे के प्रावधान के कारण अस्वीकृति को हटाने में गलती की, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि यह प्रावधान पूरी तरह से तदर्थ के आधार पर था और निर्धारिती को पहले से ही आय कर अधिनियम के नियम 6ई के अनुसार विशेष प्रावधान की अनुमति दी गई थी।
>
> ग) अपीलकर्ता सुनवाई के समय ऊपर उठाए गए विधि के किसी भी सारवान प्रश्न को जोड़ने, बदलने या संशोधित करने की अनुमति चाहता है।"

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री मेहरचंदानी और प्रत्यर्थीगण की ओर उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वोहरा को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि जो प्रमुख प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, वे "अनिर्णीत बकाया दावों" और **उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किए गए** दावों के प्रावधानों से संबंधित हैं। प्रश्नगत वर्षों के लिए, **निर्धारण अधिकारी** ने अभिनिर्धारित किया कि अनिर्णित दावों के साथ-साथ आई.बी.एन.आर. दोनों के लिए प्रावधान आकस्मिक देनदारियों के बराबर होगा और इस प्रकार **आयकर अधिनियम, 1961** की धारा 37 के तहत वैध रूप से दावा नहीं किया जा सकता है।

3. जहाँ तक बकाया या अनिर्णीत दावों का संबंध है, अधिकरण ने प्रत्यर्थी-निर्धारिती के इस तर्क पर ध्यान दिया कि अनिर्णीत दावों के प्रावधान को तदर्थ या अनुमान के रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे पॉलिसी-धारकों द्वारा दर्ज किए गए सभी बकाया दावों को दर्ज करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार दर्ज किए गए दावों के आधार पर प्रत्यर्थी ने अपनी लेखा पुस्तकों में उचित प्रावधान किए हैं। अधिकरण के समक्ष यह दावा किया गया था कि दावे का परिमाणीकरण या न्यायनिर्णयन बाद में हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल बाद की अवधि में ही पड़ेगा और ऐसी कार्योत्तर परिस्थितियों, जिसकी परिकल्पना नहीं की गई थी, उन्हें आकस्मिक देयता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती ने यह भी तर्क दिया है कि एक बार जब पॉलिसी-धारक द्वारा दावा दायर किया जाता है, तो केवल सत्यापन और

परिमाणीकरण का कार्य रह जाता है। प्रत्यर्थी के प्राकलन में उपरोक्त मुद्दा केरल उच्च न्यायालय द्वारा **आयकर आयुक्त बनाम केरल परिवहन कंपनी** में दिए गए निर्णय के आलोक में सुलझा लिया गया था।

4. उपरोक्त पर विचार करने के बाद अधिकरण ने **आयकर आयुक्त (अपील)** द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा। इस संबंध में हम अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 11 और 12 को उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

> "11. सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम पाते हैं कि जहाँ तक अनिर्णीत दावों के प्रावधान का संबंध है, तो निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए अस्वीकृति दी है कि ये आकस्मिक देयताओं के कारण बनाए गए तदर्थ प्रावधान हैं और निर्धारित देनदारियां नहीं हैं और इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 37 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

विद्वान सी.आई.टी.(ए) का आदेश इस संबंध में इस प्रकार हैः-

> "4.2 मैंने मामले के तथ्यों, अपीलकर्ता की प्रस्तुतियों और निर्धारण अधिकारी के आक्षेपित आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। अपीलकर्ता का मूल प्रस्तुति यह है कि चूंकि अनिर्णीत दावों का प्रावधान पॉलिसी-धारकों से प्राप्त वास्तविक संसूचना के आधार पर किया गया है, इसलिए इसे किसी भी तरह से तदर्थ प्रकृति का नहीं माना जा सकता है जैसा कि विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोप लगाया गया है। <u>अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि देयता का भारग्रहण और उसका परिमाणीकरण दो अलग-अलग पहलू हैं और केवल इसलिए कि कुछ दावे बाद में धोखाधड़ी/त्रुटिपूर्ण प्रकृति के होने के कारण खारिज कर दिए गए हैं, इसे आकस्मिक देयता के खिलाफ एक तदर्थ प्रावधान नहीं</u>

माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त देयता की अस्वीकृति हो जाती है,

केरल ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम सहायक आयकर आयुक्त [1994] 50 टी.टी.जे. 435 पूर्वोक्त के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत पूरी तरह से दिए गए तथ्यों पर लागू होता है, उपरोक्त के आलोक में, मुझे इस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन में कोई गुणागुण नहीं दिखती है। तदनुसार, अपीलकर्ता के पक्ष में आधार संख्या 3 की अनुमति दी जाती है।"

12. उचित विचार करने पर, हम पाते हैं कि निर्धारण अधिकारी ने अनिर्धारित दावों के लिए प्रावधान को आकस्मिक देयता के रूप में रखने में गलती की है। ऊपर उल्लिखित निर्धारिती की प्रस्तुतियों और प्रस्तुत निर्णय विधि आलोक में, हम पाते हैं कि विद्वान सी.आई.टी.(ए) ने सही आदेश पारित किया है जिसमें हमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में देयता का विधिवत निर्धारण किया गया है। इसलिए, राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए इस आधार को खारिज किया जाता है।"

5. हमारी सुविचारित राय में, अधिकरण द्वारा इस निर्विवाद तथ्य पर विचार करना स्पष्ट रूप से न्यायोचित था कि देयता के भारग्रहण और उसके अंतिम परिमाणीकरण के बीच अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह विवादित नहीं था कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा किया गया प्रावधान ग्राहकवार दर्ज किए गए दावों के विवरण के आधार पर किया गया था। केवल इसलिए कि उन दावों को अंततः बाद में न्यायनिर्णीत किया गया, इसका किसी प्रावधान को वैध रूप से बनाए जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. जहाँ तक आई.बी.एन.आर. के प्रश्न का संबंध है, अधिकरण ने अनिवार्य रूप से **आयकर उपायुक्त बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड** मामले में

कोलकाता न्यायपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। इस पहलू पर विचार करते हुए, अधिकरण ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> "13. निर्धारण अधिकारी ने आकस्मिक देयता के रूप में आई.बी.एन.आर. दावों के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया। विद्वान सी.आई.टी. (ए) ने डी.सी.आई.टी. बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के मामले में कोलकाता आई.टी.ए.टी. न्यायपीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए परिवर्धन को हटा दिया। विद्वान सी.आई.टी. (ए) के आदेश का अंतिम भाग इस प्रकार है:-
>
> > "5.2 मैंने मामले के तथ्यों, अपीलकर्ता की प्रस्तुतियों और निर्धारण अधिकारी के आक्षेपित आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। अपीलकर्ता की मूल दलील यह हैं कि उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों का प्रावधान आई.आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार है और अपीलकर्ता एक बीमा कंपनी होने के नाते इस तरह के विनियमन से बंधा हुआ है।
> >
> > इसके अलावा, आयकर उपायुक्त बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (2016) 72 taxmann.com 116 (पूर्वोक्त) के मामले में कोलकाता आई.टी.ए.टी. न्यायपीठ का हालिया फैसला मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:
> >
> > > "3.6 हमने विरोधियों की दलीलें सुनी हैं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की है। हम पाते हैं कि विद्वान सी.आई.टी. (ए) ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया था कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा उचित तर्क के साथ वैज्ञानिक संगणना के आधार पर बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा उपगत देयताओं के लिए किया गया प्रावधान किंतु रिपोर्ट नहीं किया गया (आई.बी.एन.आर.) को केवल अभिनिश्चित

देयता कहा जा सकता है। इसलिए, इसे अधिनियम की धारा 115ञख के तहत बही लाभ की संगणना करते समय इसे अनिश्चित देयता मानकर इसे वापस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व विभाग हमारे सामने विद्वान सी.आई.टी.ए. द्वारा दिए गए निष्कर्षों का खंडन करने में समर्थ नहीं था। इसलिए, हम इस संबंध में विद्वान सी.आई.टी.ए. के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं और तदनुसार राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए आधार संख्या 1 को खारिज किया जाता है।

इस प्रकार, चूंकि उक्त प्रावधान निश्चित देयताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है, इसलिए कंपनी 'व्यवसाय और पेशे से लाभ और अभिलाभ' शीर्षक के अंतर्गत अपनी आय की संगणना करते समय कटौती का दावा करने की हकदार है। इसलिए, उपरोक्त राष्ट्रीय बीमा के मामले में माननीय आई.टी.ए.टी. के निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, मुझे इस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन में कोई गुणागुण नहीं मिलती है। इसलिए, अपील के इस आधार की अनुमति दी जाती है।

14. हमने दोनों पक्षकारगण को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है। निर्धारिती की उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, हम पाते हैं कि विद्वान सी.आई.टी. (ए) ने सही निर्णय लिया है, जिसमें हमारी ओर से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोलकाता न्यायपीठ की आई.टी.ए.टी. की निर्णयज विधि में विधिवत अभिनिर्धारित किया गया है कि ये निर्धारित देनदारियां हैं। इसलिए, हम विद्वान सी.आई.टी. (ए) के आदेश को बरकरार रखते हैं।"

7. सामान्य बीमा व्यवसाय के लाभ की संगणना निर्विवाद रूप से अधिनियम की पहली अनुसूची में बनाए गए प्रावधानों द्वारा विनियमित की जाती है और जिसके लिए बीमा व्यवसाय में लगी इकाई को बीमा अधिनियम, 1938, उक्त

अधिनियम या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और आई.आर.डी.ए. द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किए गए अपने लाभ और हानि खाते के अनुसार व्यवसाय से अपने लाभ और अभिलाभ की संगणना करना आवश्यक है। हम पाते हैं कि **आई.बी.एन.आर.** के लिए प्रावधान **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 पर आधारित है।**

8. सामान्य बीमाकर्ता की देयताओं की राशि का निर्धारण विनियमन 5 द्वारा विनियमित किया जाता है और जिसके लिए सामान्य बीमाकर्ता को उन विनियमों की अनुसूची II के अनुसार देयताओं का विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। दावा आरक्षित का विषय विनियमन की अनुसूची II के खंड 3 द्वारा विनियमित किया जाता है जो निम्नानुसार है:-

> "3. दावा आरक्षित
>
> (1) दावा आरक्षित का निर्धारण बकाया दावा आरक्षित की कुल राशि के रूप में किया जाएगा और उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किया गया दावा आरक्षित (आई.बी.एन.आर.) निम्नलिखित व्यवसायों के लिए नीचे वर्णित किया गया है:
>
> XXXX XXXX XXXX
>
> **(2) बकाया दावा आरक्षित**
>
> बकाया दावा आरक्षित का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:
>
> (क) <u>जहाँ बीमाकर्ताओं के बकाया दावों की राशि ज्ञात है, वहां राशि पूरी तरह से प्रदान की जानी है</u>;

(ख) जहाँ बीमाकर्ता द्वारा बकाया दावों की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है, बीमाकर्ता निपटान पैटर्न या औसत दावा राशि, व्यय और मुद्रास्फीति में परिवर्तन के लिए स्पष्ट भत्ते को ध्यान में रखते हुए मामले-दर-मामले विधि का पालन करेगा।

(ग) उन व्यवसायों के लिए, जहाँ बीमांकक नियुक्त करने का विचार है कि बकाया दावों के आकलन के लिए सांख्यिकीय विधि सबसे उपयुक्त है, नियुक्त बीमांकक मामले-दर-मामले विधि का पालन करने के बजाय दावों को आरक्षित करने की उपयुक्त सांख्यिकीय विधि का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में, बकाया दावे को नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। जहाँ नियुक्त बीमांकक दावा निपटान पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करता है, वहाँ बकाया दावों के आरक्षित स्वरूप पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किया गया (आई.बी.एन.आर.) दावा आरक्षित

(क) उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किया गया (आई.बी.एन.आर.) दावा आरक्षित का निर्धारण नीचे दिए गए खंड 4 में विस्तृत बीमाकृत सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके किया जाएगा।

(ख) आई.बी.एन.आर. का अनुमान उचित बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करके लगाया जाएगा और नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ग) नियुक्त बीमांकक पुनर्बीमा के शुद्ध और पुनर्बीमा के सकल आधार दोनों पर आई.बी.एन.आर. का अनुमान लगाएगा।

(घ) नियुक्त बीमांकक घटना के प्रत्येक वर्ष के लिए आई.बी.एन.आर. के प्रावधान का अनुमान लगाएगा और प्रदान की जाने वाली कुल राशि तक पहुंचने के लिए आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा।

(ङ) यदि घटना के किसी भी वर्ष के लिए आई.बी.एन.आर. प्रावधान का अनुमान ऋणात्मक है, तो नियुक्त बीमांकक अंतर्निहित धारणाओं की पुनः जांच करेगा। पुनः जांच के बाद भी, यदि गणित ऋणात्मक मूल्य देता है, तो नियुक्त बीमांकक घटना के उस वर्ष के लिए आई.बी.एन.आर. प्रावधान की अनदेखी करेगा।

(च) आकलन प्रक्रिया वर्तमान तिथि तक भुगतान किए गए दावों के अनुमानित भविष्य के विकास को छूट नहीं देगी।"

9. आई.बी.एन.आर. दावा आरक्षित के विषय में विचार करते समय, अनुसूची II के खंड 3(3) में प्रावधान है कि आई.बी.एन.आर. का अनुमान उचित बीमांकिक सिद्धांतों के उपयोग से लगाया जाएगा। आई.बी.एन.आर. का अनुमान स्वयं नियुक्त बीमांकक द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर लगाया जाना है। इसके बाद खंड 4 में विभिन्न बीमाकृत विधियों को निर्धारित किया गया है जिसका उपयोग आरक्षित आई.बी.एन.आर. के आकलन के लिए किया जा सकता है। उक्त खंड इस प्रकार है:-

"4. वास्तविक विधियाँ

(1) आई.बी.एन.आर. आरक्षित के आकलन के लिए निम्नलिखित मानक बीमाकृत विधियों का उपयोग किया जा सकता है:

(क) बेसिक चेन लैडर विधि (उपगत और प्रदत्त दोनों दावों पर)

(ख) बोर्नह्यूटर फर्ग्यूसन विधि (उपगत और प्रदत्त दोनों दावों पर)

(ग) आवृत्ति-कठोरता विधि

(2) नियुक्त बीमांकक एक अनुमान पर पहुंचने के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग करेगा जो उसे लगता है कि भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(3) नियुक्त बीमांकक आई.बी.एन.आर. आकलन के मानक बीमाकर्ता विधियों के अलावा अन्य विधियों का उपयोग कर सकते हैं।

(4) विनियामक को प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, नियुक्त बीमांकक को अन्य उपलब्ध विधियों की तुलना में किसी विशेष विधि के चयन के पीछे के औचित्य का स्पष्टीकरण देना चाहिए, साथ ही ऐसा करने के फायदे और नुकसान भी बताने चाहिए।

(5) जहाँ विभिन्न विधियों या मान्यताओं के परिणाम महत्वपूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न होते हैं, वहाँ नियुक्त बीमांकक को अंतरों के संभावित कारणों

पर टिप्पणी करनी चाहिए और परिणामों के चयन के आधार की व्याख्या करनी चाहिए।"

10. जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, आई.बी.एन.आर. आरक्षित सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकृत कार्य के आधार पर बनाए जाते हैं जो खंड 4 में उल्लिखित निर्धारित तरीकों में से एक के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार यह अभिलक्षित पूर्वानुमानित पद्धति के आधार पर दावों के लिए एक अनुभवजन्य आकलन है, जो सामान्य बीमाकर्ता की राय में पहले से ही उपगत किया जा चुका है, लेकिन प्रावधान किए जाने के समय इसकी रिपोर्ट नहीं की गई। श्री वोहरा ने हमें बताया कि उपरोक्त प्रक्रिया का ऐतिहासिक रूप से बीमा व्यवसाय में पालन किया जाता रहा है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही श्री वोहरा ने आई.बी.एन.आर. और इकाईयों द्वारा जारी की जाने वाली वारंटियों तथा उनके संबंध में दिए गए विभिन्न निर्णयों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था।

11. संबंधित पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुनने के बाद, हम प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए तर्क में निम्नलिखित कारणों से गुणागुण पाते हैं। वारंटी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मौलिक निर्णयों में से एक और यह कि क्या इसके संबंध में किए गए प्रावधान आकस्मिक देयताओं के बराबर होंगे, **रोटॉर्क कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, चेन्नई** में दिया गया निर्णय है। उपरोक्त मामले में, उच्चतम न्यायालय इस बात से चिंतित था कि क्या निर्धारिती द्वारा उत्पन्न होने वाले संभावित

दावों के संबंध में प्रदान की गई मानक वारंटी को एक आकस्मिक देयता माना जा सकता है और इस प्रकार धारा 37 के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

12. लेखा पुस्तकों में प्रावधान किए जाने वाले अवधारणा की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> **"22.** प्रावधान क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए। प्रावधान एक ऐसी देयता है जिसे केवल पर्याप्त मात्रा में अनुमान का उपयोग करके मापा जा सकता है। प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब: (क) किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप किसी उद्यम का वर्तमान देयता होती है; (ख) यह संभावना है कि देयता का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी; और (ग) देयता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जा सकती है।
>
> **23.** देयता को पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान देयता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके निपटान के परिणामस्वरूप आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के उद्यम से बहिर्गमन होने की उम्मीद होती है। कोई पिछली घटना जिसके कारण वर्तमान देयता होती है, उसे दायित्वकारी घटना कहा जाता है दायित्वकारी घटना ऐसी घटना है जो दायित्व पैदा करती है जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का बहिर्गमन होता है। केवल वही दायित्व जो उद्यम के भविष्य के संचालन से स्वतंत्र रूप से मौजूद पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है। मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए दायित्व के लिए न केवल वर्तमान दायित्व होना चाहिए, बल्कि उस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना भी होनी चाहिए। जहाँ कई दायित्व (जैसे उत्पाद वारंटी या इसी तरह के अनुबंध) हैं, वहाँ निपटान

में बहिर्गमन की आवश्यकता होने की संभावना, समग्र रूप से उक्त दायित्वों पर विचार करके निर्धारित की जाती है।

24. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक ही वस्तु के विनिर्माण और विक्रय के मामले में वारंटी का प्रावधान आकस्मिक दायित्व हो सकता है जो उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती का हकदार नहीं है। हालांकि, जब हजारों की संख्या में परिष्कृत वस्तुओं का विनिर्माण और विक्रय होती है, तो ऐसी कुछ वस्तुओं में दोष पाए जाने की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप उद्यम के पास उस दायित्व को चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

25. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता वाल्व एक्चुएटर का विनिर्माण और विक्रय कर रहा है। वे निर्धारण वर्ष 1983-1984 से इस व्यवसाय में हैं। वाल्व एक्चुएटर परिष्कृत वस्तुएँ हैं। वर्षों से अपीलकर्ता बड़ी संख्या में वाल्व एक्चुएटर का विनिर्माण कर रहा है। सांख्यिकीय डेटा इंगित करता है कि हर साल इनमें से कुछ विनिर्मित एक्चुएटर दोषपूर्ण पाए जाते हैं। वर्षों से सांख्यिकीय डेटा भी यह इंगित करता है कि परिष्कृत वस्तु होने के कारण कोई भी ग्राहक वारंटी के बिना वाल्व एक्चुएटर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, वारंटी वाल्व एक्चुएटर(एक्चुएटरों) की विक्रय मूल्य का अभिन्न अंग बन गई। दूसरे शब्दों में, वारंटी उत्पाद के विक्रय मूल्य से जुड़ी होती है। ये पहलू महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पिछली घटनाओं से उत्पन्न दायित्वों को प्रावधानों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इन पिछली घटनाओं को दायित्वकारी घटनाएँ कहा जाता है।

26. वर्तमान मामले में, इसलिए, वारंटी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता है क्योंकि अपीलकर्ता एक ऐसा उद्यम है जिसका पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है एवं जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का बहिर्गमन होता है। <u>अंत में, दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। संक्षेप में, प्रावधान की मान्यता के लिए सभी तीन शर्तें इस मामले में पूरी होती हैं।</u>"

13. जैसा कि ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों से स्पष्ट है, उच्चतम न्यायालय ने देनदारियों के लिए प्रावधान की अवधारणा को वर्तमान दायित्व पर आधारित होने के रूप में समझाया जो किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक उद्यम द्वारा देय हो सकता है और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना जो उस दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक हो सकता है। इस संबंध में जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, उनमें से एक यह है कि उद्यम को एक विश्वसनीय अनुमान लगाने का अधिकार है और क्या ऐसा अनुमान उस राशि का लगाया जा सकता है जो अंततः दायित्व के कारण देय हो सकती है। पिछली घटनाओं से होने वाले दायित्वों के अलावा, उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक रुझानों की अवधारणा और उचित प्रावधान बनाने को उचित ठहराने वालों को भी मान्यता दी। ऐतिहासिक प्रवृत्ति एक निश्चित समयावधि में पाए गए दोषों और उनके संबंध में एकत्रित आंकड़ों का अध्ययन के रूप में स्वीकार किया गया। ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की अवधारणा को निम्नानुसार समझाया गया था:-

> **"35.** वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से श्री सज्जन मिल्स [(1985) 4 एस.सी.सी. 590 : 1986 एस.सी.सी. (कर) 82 : (1985) 156 आई.टी.आर. 585] में उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुसरण किया है। यह ग्रेच्युटी का मामला था। निर्धारण वर्ष 1974-1975 के लिए निर्धारिती कंपनी ने अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की राशि के लिए 18,37,727/- रुपये की राशि की कटौती करने की मांग की और बीमांकिक रूप से काम किया। 18,37,727/- रुपये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कटौती के लिए दावा इस आधार पर किया गया था

कि देयता बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की गई थी और इसलिए, 1961 अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती योग्य थी। आयकर अधिकारी ने केवल निर्धारिती द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी और बाकी को 1961 के अधिनियम की धारा 40-क(7) के प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। आई.टी.ओ. के इस दृष्टिकोण की पुष्टि सी.आई.टी. (ए) ने की थी।

36. श्री सज्जन मिल्स [(1985) 4 एस.सी.सी. 590 : 1986 एस.सी.सी. (कर) 82:(1985) 156 आई.टी.आर. 585] में अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि 1973-1974 से संबंधित पिछले निर्धारण वर्ष के लिए, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत उत्पन्न होने वाली ग्रेच्युटी के लिए बीमाकृत रूप से निर्धारित देयता एक स्वीकार्य कटौती थी। तथापि, प्रश्नगत निर्धारण वर्ष के लिए, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा दावा की गई बढ़ी हुई देयता लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकार्य था। अधिकरण द्वारा यह विचार इस आधार पर लिया गया था कि बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता का निर्धारण निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया था।

37. विभाग द्वारा की गई अपील में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उसमें निर्धारिती 1961 अधिनियम की धारा 40-क(7) के प्रावधानों का पालन किए बिना कटौती का हकदार नहीं था। श्री सज्जन मिल्स [(1985) 4 एस.सी.सी. 590 : 1986 एस.सी.सी. (कर) 82 : (1985) 156 आई.टी.आर. 585] में इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 40-क(7), जिसे वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1-4-1973 में अंतःस्थापित किया गया था, को धारा 28 के साथ-साथ 1961 अधिनियम की धारा 37 पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है। नतीजतन, सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकार्य कटौती को खारिज कर दिया गया क्योंकि धारा 40-क(1) ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1961 के अधिनियम की धारा 30 से 39 में कुछ भी निहित होने के बावजूद खंड 40-क प्रभावी थी। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक ग्रेच्युटी के संबंध में

कटौती का संबंध है, निर्धारिती को वित्त अधिनियम, 1975 के बाद धारा 40-क(7) के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक था।

38. यह ध्यान देना दिलचस्प है कि 1-4-1973 से पहले वास्तविक भुगतान या भुगतान के लिए प्रावधान 1961 अधिनियम की धारा 28 या धारा 37 के तहत कटौती के लिए पात्र था। यह श्री सज्जन मिल्स [(1985) 4 एस.सी.सी. 590 : 1986 एस.सी.सी. (कर) 82 : (1985) 156 आई.टी.आर. 585] में इसे दोहराया गया है। 1-4-1973 के बाद ही स्थिति में बदलाव हुआ है। उस तारीख से पहले, उपार्जित आधार पर उचित रूप से निर्धारित और छूट प्राप्त आकस्मिक देयता के अनुमानित वर्तमान मूल्य के लिए लाभ और हानि खाते में किए गए प्रावधान की कटौती 1961 के अधिनियम की धारा 28 या धारा 37 के तहत की जा सकती है। श्री सज्जन मिल्स [(1985) 4 एस.सी.सी. 590 : 1986 एस.सी.सी. (कर) 82 : (1985) 156 आई.टी.आर. 585] में पृष्ठ 599 पर इसकी व्याख्या की गई है।

39. धारा 40-क(7) केवल ग्रेच्युटी के मामले से ही संबंधित है। यहां तक कि ग्रेच्युटी के मामले में भी, धारा 40-क(7) को शामिल किए बिना, आकस्मिक देयता के वर्तमान मूल्य के आधार पर लाभ और हानि खाते में किया गया प्रावधान, जो उचित रूप से सुनिश्चित किया गया हो और उपार्जित आधार पर भुनाया गया हो, उक्त अधिनियम की धारा 28 या धारा 37 के तहत कटौती का हकदार था। इसलिए, यह पहलू इंगित करता है कि वारंटी व्यय जैसे आकस्मिक देयता का वर्तमान मूल्य, यदि उचित रूप से निर्धारित किया जाता है और उपार्जित आधार पर छूट दी जाती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती एक मद हो सकती है। आक्षेपित निर्णय में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है।

40. <u>हम एक केवियट जोड़ सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आकस्मिक देयता के आकलन का सिद्धांत सामान्य नियम नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह व्यवसाय की प्रकृति, विक्रय की प्रकृति, विनिर्मित और बेचे जाने वाले उत्पाद की प्रकृति और निर्धारिती द्वारा अपनाई गई</u>

लेखांकन की वैज्ञानिक विधि पर निर्भर करेगा। यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर भी निर्भर करेगा। यह उत्पादित वस्तुओं की संख्या पर भी निर्भर करेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि यह एक ही वस्तु के उत्पादन का मामला है तो आनुपातिक आधार पर आकस्मिक देयता के आकलन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है।

41. हालांकि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। वर्तमान मामले में, हमारे पास बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन होने की स्थिति है। वे परिष्कृत वस्तुएँ हैं। वे ऐतिहासिक प्रवृत्ति द्वारा समर्थित हैं, अर्थात्, कुछ वस्तुओं में दोष पाए गए हैं। डेटा यह भी इंगित करता है कि वारंटी लागत(तों) विक्रय मूल्य में सन्निहित है। डेटा यह भी इंगित करता है कि वारंटी विक्रय मूल्य से जुडी हुई है। इन परिस्थितियों में, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया [ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 612 : (1969) 73 आई.टी.आर. 53] में निर्धारित सिद्धांत लागू होगा।

42. [ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 612 : (1969) 73 आई.टी.आर. 53] मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आकस्मिक देयताओं में छूट और आवश्यकता के अनुसार मूल्य निर्धारण को व्यापारिक व्यय के रूप में माना जा सकता है यदि ये मूल्यवान हो सकते हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ग्रैच्युटी स्कीम के तहत अनुमानित देयता, भले ही वह आकस्मिक देयता हो, यदि उचित रूप से पता लगाया जा सकता है और और यदि उसका वर्तमान मूल्य उचित रूप से छूट प्राप्त हो, तो लाभ और हानि खाता तैयार करते समय सकल लाभ से कटौती की जा सकती है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अनुमेय हो गया कि निर्धारिती अपने लाभ और हानि खाते में उपार्जित आधार पर वर्तमान मूल्य का पता लगाकर, उपार्जित देयता के लिए प्रावधान कर सकता है और इसे अधिनियम, 1961 की धारा 28 या धारा 37 के तहत पिछले वर्ष के लाभ और अभिलाभ की गणना में कटौती किए जाने के लिए एक निश्चित देयता के रूप में दावा कर सकता है। हालाँकि, उपरोक्त सिद्धांत धारा 40-क(7) को 1-4-1973 को शामिल करने के बाद लागू नहीं होगा। यह कहा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित वाणिज्यिक लेखांकन के सिद्धांतों ने मेटल बॉक्स कंपनी

> ऑफ इंडिया [ए.आई.आर. 1969 एस. सी. 612 : (1969) 73 आई.टी. आर. 53] में इस न्यायालय के फैसले का आधार बनाया और उन सिद्धांतों की पुष्टि श्री सज्जन मिल्स [(1985) 4 एस.सी.सी. 590 : 1986 एस.सी.सी. (कर) 82 : (1985) 156 आई.टी.आर. 585] में 1-4-1973 तक के उच्चतम न्यायालय के फैसले द्वारा की गई है।"

14. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी उद्यम को देयता के लिए प्रावधान करने का अधिकार है, जिसे मापा जा सकता है और जिसे उच्चतम न्यायालय ने *"अनुमान की पर्याप्त मात्रा"* के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक कोई देयता अनुभवजन्य आंकड़ों या ज्ञात कार्यप्रणाली के आधार पर उचित रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है, तब तक उसे आकस्मिक दायित्व नहीं माना जा सकता।

15. उच्चतम न्यायालय ने रोटॉर्क कंट्रोल्स मामले में अंततः निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> **"47.** इस स्तर पर, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि देयता वर्तमान देयता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, जिसके निपटान के परिणामस्वरूप संसाधनों का बहिर्गमन होने की उम्मीद होती है और जिसके संबंध में दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान संभव है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इंडियन मोलासेस कं. [ए.आई.आर 1959 एस.सी. 1049 : (1959) 37 आई.टी.आर. 66] वर्तमान मामले से अलग है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामले में हम निर्धारिती द्वारा विनिर्मित और बेची गई परिष्कृत (विशेष) वस्तुओं की एक श्रृंखला से संबंधित हैं, जबकि इंडियन मोलासेस कंपनी [ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1049 : (1959) 37 आई.टी.आर. 66] एक व्यक्तिगत सेवानिवृत्त व्यक्ति तक ही सीमित थी। दूसरी ओर, मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया [ए.आई.आर. 1969 एस.सी.

612 : (1969) 73 आई.टी.आर. 53] उन कर्मचारियों के समूह से संबंधित था जो भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

48. मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया मामले में [ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 612 : (1969) 73 आई.टी.आर. 53] कंपनी ने दो ग्रेच्युटी स्कीमों के तहत अपनी देयता का अनुमान लगाया था और देयता की राशि को लाभ और हानि खाते में सकल अभिलाभ से काट लिया गया था। कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन पर अपनी अनुमानित देनदारी तय की थी। उसने कई वर्षों तक विस्तृत ऐसी देनदारी के लिए प्रावधान किया था। ऐसे मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ग्रेच्युटी स्कीम के तहत अपने द्वारा उठाए गए देयता को पूरा करने के लिए निर्धारिती कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान उस लेखा-वर्ष के लिए सकल प्राप्तियों में से कटौती का हकदार होगा, जिसके दौरान दायित्व के लिए प्रावधान किया गया है।

49. यही सिद्धांत भारत अर्थ मूवर्स [(2000) 6 एस.सी.सी. 645 : (2000) 245 आई.टी.आर. 428] में इस न्यायालय के फैसले में भी निर्धारित किया गया है। उस मामले में निर्धारिती कंपनी ने छुट्टी नकदीकरण स्कीम तैयार की थी। मेटल बॉक्स कंपनी ऑफ इंडिया [ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 612 : (1969) 73 आई.टी.आर. 53] के फैसले के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती द्वारा कर्मचारियों द्वारा अर्जित पात्रता के अनुपात में छुट्टी नकदीकरण योजना के तहत किए गए देयता को पूरा करने के लिए किया गया प्रावधान, उस लेखा वर्ष के लिए सकल प्राप्तियों में से कटौती का हकदार था, जिसके दौरान उस देयता के लिए प्रावधान किया गया है।

50. <u>इन निर्णयों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि यदि ऐतिहासिक प्रवृत्ति इंगित करती है कि अतीत में बड़ी संख्या में परिष्कृत वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा था और अतीत में यदि स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि विनिर्मित और विक्रय की गई कुछ वस्तुओं में दोष मौजूद थे, तो ऐसी परिष्कृत वस्तुओं की श्रृंखला के संबंध में वारंटी के लिए किया गया प्रावधान 1961 अधिनियम की धारा 37 के तहत सकल अभिलाभों में से</u>

कटौती का हकदार होगा। यह सब निर्धारिती द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाए गए आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

51. यह उल्लेखनीय है कि हमारे समक्ष सभी आक्षेपित निर्णयों में निर्धारिती(यों) सफल रहे हैं, सिवाय सिविल अपील संख्या 3506-10/2009 के —जो वि.अनु.या. (सि.) संख्या 14178-82/2007 से उत्पन्न हुई है — रोटॉर्क कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम.सी.आई.टी., जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने 1961 के अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती की अनुमति देने वाले अधिकरण के फैसले को खारिज कर दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय "उलटफेर" पर ध्यान देने में विफल रहा है जो पिछले दशक में निर्धारिती द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाए गए आंकड़ों का हिस्सा था।"

16. आकस्मिक देनदारियों की अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या **आयकर आयुक्त बनाम व्हर्पूल ऑफ इंडिया लिमिटेड** मामले में मिलती है। उस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने पाया कि वहां निर्धारिती बेची गई मशीनों और दर्ज वारंटी दावों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगातार प्रावधान कर रहा था। उस मामले में निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ सी.आई.टी.(ए) दोनों का विचार था कि वारंटी की अवधि समाप्त न होने से संबंधित दावों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब वास्तविक दावे उत्पन्न हो सकते हैं तथा निर्धारिती के लिए वारंटी देयता का आकलन करना न्यायानुमत नहीं होगा।

17. इस पहलू पर विचार करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी किया:-

"14. हम ***सी.आई.टी. बनाम विनिटेक कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड*** 278 आई.टी.आर. 337 में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दें सकते हैं जिसका उल्लेख अधिकरण द्वारा भी किया गया है। उस मामले में निर्धारिती

ने अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती का दावा किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वारंटी खंड के तहत ग्राहकों द्वारा भविष्य के दावों के खिलाफ वर्ष में उसके द्वारा किए गए प्रावधान पर जो विक्रय का हिस्सा था। निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर दावे को अस्वीकार कर दिया कि यह आकस्मिक देयता था। हालाँकि, अधिकरण ने निर्धारिती के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि देयता निश्चित थी और वारंटी व्यय के प्रतिशत के पिछले वर्षों के आंकड़ों को ध्यान में रखने के बाद अनुमान के आधार पर कुछ मात्रा निर्धारित की गई थी। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि वारंटी खंड विक्रय दस्तावेज का एक हिस्सा था और निर्धारिती पर वारंटी की अवधि के लिए उस खंड के तहत अपनी देयता चुकाने का दायित्व सौंपा। यह एक ऐसी देयता थी, जिसका निश्चित रूप से अर्थ लगाया जा सकता था, जो लेखांकन वर्ष में उत्पन्न हुआ था, हालांकि इसकी वास्तविक मात्रा और निर्वहन को भविष्य की तिथि तक स्थगित किया जा सकता है। एक बार जब निर्धारिती वाणिज्यिक प्रणाली पर अपने खातों को बनाए रखता है, तो उपार्जित देयता, हालांकि भविष्य की तारीख में चुकाई जानी है, अपने व्यवसाय के लाभ और लाभ का निर्धारण करते समय एक उचित कटौती होगी, जो वाणिज्यिक व्यवहार और लेखांकन के स्वीकृत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। उपरोक्त दृष्टिकोण विरचित करते हुए, न्यायालय ने ***भारत अर्थ मूवर्स बनाम सी.आई.टी.,*** 245 आई.टी.आर. 428 में निर्धारित जांच को लागू किया और उक्त निर्णय और प्रिवी काउंसिल के एक अन्य निर्णय का निम्नलिखित शब्दों में विश्लेषण किया:-

> "हमारी राय में, भारत अर्थ मूवर्स (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हमारे समक्ष विवादित मुद्दे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस प्रतिपादना पर विचार करते हुए कि क्या निर्धारिती को लेखा-वर्ष में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि देयता को भविष्य की तारीख में निर्धारित और चुकाना पड़ सकता है, देयता को वर्तमान समय में माना जाना चाहिए और यह आकस्मिक देयता होगी या नहीं, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"कलकत्ता कंपनी लिमिटेड बनाम सी.आई.टी. [1959]37 आई.टी.आर.1 (एस.सी.) में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारित पर देयता का तात्पर्य यह है कि, देयता उपार्जित देयता होगी और केवल इसलिए सशर्त देयता में परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि देयता को भविष्य की तारीख में चुकाया जाना था। उसके अनुमान में कुछ कठिनाई हो सकती है लेकिन यह उपार्जित देयता को सशर्त में परिवर्तित नहीं करेगा; यह हमेशा संबंधित कर प्राधिकारियों के लिए अनिर्णीत था कि वे मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देयता के उचित अनुमान पर पहुँचें।

उपरोक्त उक्त सुस्थापित सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा छुट्टी नकदीकरण स्कीम के तहत अपने द्वारा वहन किए गए देयता को पूरा करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अर्जित पात्रता के अनुपात में किया गया प्रावधान, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, उस लेखा-वर्ष के लिए सकल अभिलाभों में से कटौती का हकदार है, जिसके दौरान देयता के लिए प्रावधान किया गया है। यह देयता आकस्मिक देयता नहीं है। उच्च न्यायालय का विपरीत दृष्टिकोण अपनाना सही नहीं था।

अपील स्वीकार की जाती है। अपील के तहत निर्णय को अपास्त किया जाता है। अधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, अर्थात निर्धारण के पक्ष में और राजस्व विभाग के खिलाफ।

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त (पूर्वोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले का संदर्भ देना हमारे लिए उपयोगी होगा, जिसमें प्रिवी काउंसिल एक ऐसे करदाता का निपटान कर रही है जो व्यापारियों को नए मोटर वाहन बेच रहा था ताकि उन्हें वारंटी

दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप, व्यापारी द्वारा क्रेता को डिलीवरी की तिथि से 12 महीने के लिए वारंटी खंड प्रदान किया गया, जो इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

"अपील को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि, हालांकि बेचे गए प्रत्येक वाहन के लिए वारंटी के तहत करदाता की देयता वारंटी अवधि के भीतर व्यापारी को किसी दोष को दिखाई देना और सूचित किया जाना आकस्मिक था, ताकि उन शर्तों को पूरा करने तक करदाता से कोई देयता न ली जाय, सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर वारंटी दावों के उसके अनुमान पर ध्यान दिया जा सकता है, जो दर्शाता है कि मौजूदा तथ्य के रूप में भविष्य की आकस्मिकता 63 प्रतिशत नहीं है। करदाता द्वारा बेचे गए सभी वाहनों में वारंटी अवधि के भीतर दोष के प्रकट होने की संभावना थी और वारंटी के तहत काम कराने की आवश्यकता थी; चूँकि सैद्धांतिक आकस्मिकताओं की अवहेलना की जा सकती थी, इसलिए करदाता उन वारंटी के तहत भुगतान करने के लिए प्रोदभूत विधिक देयता के तहत विक्रय के वर्ष में था और भले ही अगले वर्ष तक ऐसा करने की आवश्यकता न हो, यह निश्चित रूप से उस व्यय के लिए विक्रय के वर्ष में प्रतिबद्ध था; और यह कि, तदनुसार, करदाता द्वारा उस वर्ष में अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभ या अभिलाभ की संगणना करने में जिसमें वाहन बेचे गए थे, करदाता धारा 104 के तहत हकदार था। अपनी कुल आय में से उस प्रावधान की कटौती करना जो उसने उस वर्ष बेचे गए वाहनों के संबंध में बकाया वारंटी के तहत अपनी प्रत्याशित देनदारियों की लागत के लिए किया था।"

उपरोक्त मामलों का निर्णयाधार वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। यह विवादित नहीं है कि वारंटी खंड विक्रय दस्तावेज का हिस्सा है और वारंटी की अवधि के लिए

> उस खंड के तहत अपने देयताओं को चुकाने के लिए निर्धारिती पर दायित्व डालता है। यह एक देयता है, जिसकी व्याख्या निश्चित रूप से की जा सकती है तथा जो लेखा वर्ष में उत्पन्न हुई है। हो सकता है कि इसकी वास्तविक मात्रा और चुकाने को भविष्य की तिथि तक टाल दिया जाए। एक बार जब कोई निर्धारिती व्यापारिक प्रणाली पर अपने खातों को बनाए रखता है, तो देयता जमा हो जाती है, हालांकि भविष्य की तिथि पर उसका अदायगी किया जाना है, अपने व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ का निर्धारण करते समय वह उचित कटौती होगी, जो वाणिज्यिक व्यवहार और लेखांकन के स्वीकृत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।"

18. *रोटॉर्क कंट्रोल्स* में फैसले को नोटिस करने के बाद, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

> "17. इसके बाद न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर 'उत्पाद वारंटी' के लिए प्रावधान करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा और यह अभिनिर्धारित किया किः-
> (क) यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर आधारित होना चाहिए और एक उचित ऐतिहासिक प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए, कंपनी के पास विक्रय, वारंटी प्रावधानों और बाद में किए गए वास्तविक खर्चों को दर्ज करने के लिए उचित लेखा प्रणाली होनी चाहिए।
> (ख) वारंटी प्रावधान नीति का एक विस्तृत निर्धारण विशेष रूप से आवश्यक है यदि अनुभव से पता चलता है कि वारंटी प्रावधान आमतौर पर उलट दिए जाते हैं यदि वे पिछले अनुभव के आधार पर अप्रयुक्त रहते हैं।
> (ग) उत्पाद के लिए वारंटी का प्रावधान भविष्य के वारंटी व्यय के वर्ष के अंत में अनुमान पर आधारित होना चाहिए। उक्त निर्णय में निम्नलिखित विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है:-
>
> > "एक उपयुक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी के पास विक्रय की प्रकृति, किए गए

वारंटी प्रावधानों और बाद में उसके खिलाफ किए गए वास्तविक खर्चों के बीच संबंध को दर्ज करने के लिए एक उचित लेखा प्रणाली हो। इस प्रकार, वारंटी प्रावधान पर निर्णय कंपनी के पिछले अनुभव पर आधारित होना चाहिए। वारंटी प्रावधान नीति का एक विस्तृत निर्धारण विशेष रूप से आवश्यक है यदि अनुभव से पता चलता है कि वारंटी प्रावधान आम तौर पर उलट दिए जाते हैं यदि वे वारंटी में निर्धारित अवधि के अंत में अप्रयुक्त रहते हैं। इसलिए, कंपनी को वारंटी प्रावधानों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और उसके खिलाफ किए गए वास्तविक खर्चों की जांच करनी चाहिए। इसके आधार पर एक विवेकपूर्ण अनुमान लगाया जाना चाहिए। उत्पादों के लिए वारंटी का प्रावधान भविष्य के वारंटी खर्चों के वर्ष के अंत में अनुमान पर आधारित होना चाहिए। इस तरह के अनुमानों का हर साल पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।"

18. अन्य बातों के अलावा, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले अनुभव के आधार पर कंपनी के कारोबार पर वारंटी का प्रावधान प्रोद्भव अवधारणा के साथ-साथ मिलान अवधारणा को भी पूरा करता है। न्यायालय ने न केवल वारंटी प्रावधानों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर पिछले अनुभव पर जोर दिया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि यह हर साल निर्धारण के तहत अनुमान प्रदान करता है।

19. हम इस स्तर पर यह भी बताना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने सज्जन मिल्स (पूर्वोक्त) के साथ-साथ इंडियन मोलासेस कंपनी (पूर्वोक्त) के फैसलों में अंतर किया है। हम सी.आई.टी. बनाम वुडवर्ड गवर्नर इंडिया प्रा. लि. 312 आई.टी.आर. 254 में उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए लगातार अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि अनुमान सही और सही लाभ को नहीं दर्शाता है।"

19. उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर उचित विचार करने पर, हम इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आई.बी.एन.आर. प्रावधान को एक आकस्मिक देयता के रूप में समझना पूरी तरह से गलत होगा। हम, इस संबंध में, उचित आकलन के सिद्धांतों, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के आधार पर देयता की मात्रा निर्धारित करने की क्षमता और आकलन के लिए ज्ञात बीमाकृत विधियों को ध्यान में रखते हैं जिन्हें आई.आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप हम अधिकरण द्वारा अंततः अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

20. परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती है।

न्या. यशवंत वर्मा

न्या. पुरुशैंद्र कुमार कौरव

30 मई, 2024/आर.डब्ल्यू.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*